कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 49 /1–13(13) (HRD) देहरादून दिनांक, 31 दिसम्बर, 2021

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 188(H.R.D.)/1–12(एच0आर0डी0) दिनांक 28–07–2021 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 09–08–2021 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 47600–151100 लेवल–8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 56100–177500 लेवल–10 के पद** पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख **कॉलम–4** में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :–

क्र0 सं0	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेश चन्द्र जोशी,	प्र0व0 सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।	प्र0व0 सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।	01,जनवरी,2022
2	श्री अवधेश कुमार मौर्य	मु0व0सं0, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक देहरादून	अ0प्र0व0सं0 परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी देहरादून	01,फरवरी,2022
3	श्री ओम दास	प्र0व0 टौंस वन प्रभाग, पुरोला	प्र0व0 टौंस वन प्रभाग, पुरोला	01, मार्च, 2022

1. पदोन्नत अधिकारी द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

2. संबंधित अधिकारी पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि के दो सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।**

3.. यदि अधिकारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नही की जा रही हो तो अधिकारी से लिखित रुप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को **अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।**

I.T.G.C

31/12/21

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र सं0 1136 (1)/1–13(13) (HRD) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु0व0सं0, निगरानी, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

31/12/21

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून